अनुबंध I

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम मार्च 2020 से मार्च 2021[1]

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
	मौद्रिक नीति विभाग
27 मार्च 2020	• नीतिगत रिपो दर में 75 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4.4 प्रतिशत कर दिया गया। रिवर्स रिपो दर में 90 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4.0 प्रतिशत कर दिया गया जो असमान कॉरिडोर[2] को दर्शाता है। • सीआरआर में एक वर्ष की अवधि के लिए, जो 26 मार्च 2021 को समाप्त होगी, 100 आधार अंकों की कटौती[3] कर इसे 28 मार्च 2020 से एनडीटीएल का 3.0 प्रतिशत कर दिया गया। • 28 मार्च 2020 से, न्यूनतम दैनिक सीआरआर शेष बनाए रखने संबंधी अपेक्षा को 90 प्रतिशत से घटाकर निर्धारित सीआरआर के 80 प्रतिशत कर दिया गया। यह व्यवस्था शुरू में 26 जून 2020 तक उपलब्ध थी जिसको बाद में 25 सितंबर 2020[4] तक दिया गया। • सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) उधार को 28 मार्च 2020 से सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया। यह व्यवस्था शुरू में 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी जिसको बाद में 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया।
17 अप्रैल 2020	• रिवर्स रिपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 3.75 प्रतिशत कर दिया गया। • नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को उनकी क्षेत्रवार ऋण जरूरतों[5] की आपूर्ति के लिए कुल ₹50,000 करोड़ की राशि की विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गईं।
22 मई 2020	• नीतिगत रिपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4.0 प्रतिशत कर दिया गया। • रिवर्स रिपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती कर इसे 3.35 प्रतिशत कर दिया गया। • एक्ज़िम बैंक को ₹15,000 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की गयी थी जो जारी करने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए है जिसे अधिकतम एक साल तक बढ़ाया जा सकता है ताकि वे अपनी विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूएस डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठा सकें।
06 अगस्त 2020	• नीतिगत रिपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया। • यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, मौद्रिक नीति समिति ने विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।
28 सितंबर 2020	27 मार्च 2020 को बैंकों को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत तक, अर्थात् संचयी रूप से एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में छूट देते हुए सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत धनराशि का लाभ उठाने के लिए अनुमति दी गई थी। यह सुविधा, जो प्रारंभ में 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी, को 26 जून 2020 को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। बैंकों को अपनी चलनिधि आवश्यकताओं पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से, साथ ही चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम करने के लिए, 28 सितंबर 2020 को इस छूट को आगे छह महीने की अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च 2021 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।

[1] सूची सांकेतिक स्वरूप की है और ब्योरे आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

[2] रिवर्स रिपो के संबंध में इस उपाय का उद्देश्य है कि इसे बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक के पास धन जमा करने को लेकर अपेक्षाकृत रूप से अनाकर्षक बनाया जाए ताकि वे अर्थव्यवस्था के उपयोगी क्षेत्रों को उधार देने के लिए इस धन का इस्तेमाल कर सकें।

[3] सीआरआर में इस कटौती से बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹1,37,000 करोड़ अतिरिक्त एसएलआर धारिताओं के बजाय उनके घटकों की देयताओं के अनुपात में समान रूप से उपलब्ध कराई गयी।

[4] स्टाफ को लेकर सामाजिक दूरी बरतने एवं तत्पश्चात रिपोर्टिंग अपेक्षाओं संबंधी दिक्कतों के संदर्भ में बैंकों को हुई कठिनाइयों को संज्ञान में लेकर इस उपाय का ऐलान किया गया।

[5] इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए नाबार्ड को प्रदत्त ₹25,000 करोड़; आगे उधार देने/पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी को प्रदत्त ₹15,000 करोड़; और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को सहारा देने के लिए एनएचबी को प्रदत्त ₹10,000 करोड़ शामिल हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत आरबीआई की नीतिगत रिपो दर पर अग्रिम प्रदान किया गया है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
9 अक्टूबर 2020	यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने एक टिकाऊ आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो- कम से कम चालू वित्त वर्ष के दौरान और अगले वित्त वर्ष में निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।
5 फरवरी 2021	28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 100 आधार अंकों से घटाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 3.00 प्रतिशत कर दिया गया था। यह व्यवस्था 26 मार्च 2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध थी। 5 फरवरी को सीआरआर को निर्बाध रूप में दो चरणों में धीरे-धीरे बहाल करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, बैंकों को 27 मार्च 2021 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सीआरआर को अपने एनडीटीएल के 3.50 प्रतिशत और 22 मई 2021 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी एनडीटीएल के 4.00 प्रतिशत पर बनाए रखने की आवश्यकता थी। बैंकों को उनकी चलनिधि आवश्यकताओं के संबंध में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, एमएसएफ़ के तहत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में छूट देकर एनडीटीएल के तीन प्रतिशत तक निधि का लाभ उठाने की अवधि को 6 महीने अर्थात 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया।
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	
31 मार्च 2020	कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र सभी अल्पकालिक फसल ऋणों को केसीसी ऋणों में परिवर्तित करने के लिए ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) एवं त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पकालिक फसल ऋण की समय सीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ाने पर परिपत्र जारी किया गया।
04 जून 2020	कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र 2018-19 और 2019-20 वर्षों के दौरान अल्पकालिक फसल ऋणों के मामले में आईएसएस और पीआरआई की अधिस्थगन अवधि को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने संबंधी परिपत्र जारी किया गया।
2 जुलाई 2020	उद्यमों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए नए मानदंड को अधिसूचित किया गया ताकि ऐसे उद्यमों में क्रेडिट प्रवाह को बढ़ाया जा सके।
21 अगस्त 2020	एमएसएमई की परिभाषा से संबन्धित स्पष्टीकरण जारी किया गया।
4 सितंबर 2020	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) के लक्ष्य और उनके वर्गीकरण से संबंधित मास्टर निदेश जारी किए गए।
18 सितंबर 2020	डीएवाई-एनआरएलएम (दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के संबंध में घोषित दिशा-निर्देशों में संशोधन की घोषणा की गयी।
5 नवंबर 2020	बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार देने पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
4 दिसंबर 2020	वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफ़एल) परियोजना जो अभी 100 ब्लॉक में है उसे मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से देश के हर ब्लॉक तक विस्तार करने के उपायों की घोषणा की गयी।
वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग	
27 मार्च 2020	• भारत में एडी श्रेणी-1 बैंक जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयों (बीयू) का संचालन करते हैं को, 1 जून 2020 से अनिवासी भारतीय व्यक्तियों को रुपये या अन्यथा शामिल गैर-डिलिवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट की पेशकश करने की अनुमति दी गयी। • कोविड-19 महामारी के प्रकोप की चुनौतियों के कारण गैर-डेरिवेटिव बाजारों में विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) के कार्यान्वयन की समय-सीमा 30 सितंबर 2020 तक आगे बढ़ायी गयी।
30 मार्च 2020	भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश हेतु एक अलग मार्ग यथा, पूर्णतया अभिगमयोग्य मार्ग (एफएआर) शुरू किया गया।
3 अप्रैल 2020 के अनुक्रम में 16 अप्रैल और 30 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के चलते रिज़र्व बैंक के विनियमन के अंतर्गत विभिन्न बाजारों के लिए कारोबार समय में संशोधन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार सहभागी अपने संसाधनों के अनुकूलन के साथ-साथ और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त जांच और नियंत्रण बनाए रखें।

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
7 अप्रैल 2020	अनिवासियों और निवासियों के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए मौजूदा सुविधाओं की समीक्षा की गयी है ताकि घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार तक पहुंच आसान हो, खुदरा ग्राहक के लिए सुरक्षा सुनिश्चित हो और सुविज्ञ ग्राहकों के लिए नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।
15 अप्रैल 2020	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मध्यावधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) के अंतर्गत डेट प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश सीमा की घोषणा की गयी।
18 मई 2020	• रुपये या अन्यथा शामिल गैर-डिलिवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट ट्रेड रिपॉजिटरी को सूचित किया जाना अनिवार्य था। सभी आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों को 1 जून, 2020 से सभी विदेशी मुद्रा ओटीसी, ब्याज दर और क्रेडिट डेरिवेटिव लेनदेन (दोनों अंतर-बैंक और ग्राहक लेनदेन) ट्रेड रिपॉजिटरी को रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया। • कोविड-19 के प्रकोप के कारण आई कठिनाइयों के मद्देनजर विदेशी मुद्रा जोखिम (दिनांक 7 अप्रैल 2020) हेजिंग के निदेशों के कार्यान्वयन की तारीख स्थगित कर 1 जून 2020 से 1 सितंबर 2020 कर दी गयी।
22 मई 2020	कोविड-19 महामारी के चलते स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) योजना के अंतर्गत 24 जनवरी 2020 से 30 अप्रैल 2020 के बीच जिन एफपीआई को निवेश की उच्चतम सीमा दी गयी थी, प्रतिबद्ध पोर्टफोलिओ आकार (सीपीएस) के 75 प्रतिशत निवेश के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया।
4 दिसंबर 2020	मुद्रा बाज़ार में सहभागिता बढ़ाने की दृष्टि से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को कॉल/नोटिस और सावधि मुद्रा बाज़ार में भाग लेने की अनुमति दी गयी।
15 फरवरी 2021	[विदेशी मुद्रा प्रबंधन (डेरिवेटिव/व्युत्पन्न संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमन, 2020] के विनियमों को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए गए जिससे भारत के निवासी व्यक्ति और भारत से बाहर के किसी व्यक्ति के बीच अनुमत (ओटीसी) डेरिवेटिव संविदाओं के करारों हेतु मार्जिन के विनिमय की अनुमति प्रदान की।
26 फरवरी 2021	विदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेशकों (एफ़पीआई) द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश को और बढ़ावा देने की दृष्टि से, यह अधिसूचित किया गया कि परिपक्वता पर मूलधन की चुकौती अथवा परिशोधित बॉन्ड के मामले में मूलधन की किस्त की चुकौती में आंशिक अथवा पूर्णतया चूक किए गये एनसीडी/बॉन्डों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेशों को उक्त अपेक्षाओं मध्यम अवधि के फ्रेमवर्क (एमटीएफ़) के तहत अल्पकालिक निवेश सीमा और निवेशक सीमा और न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अपेक्षा से भी छूट दी गयी।
31 मार्च 2021	2020-21 के लिए मध्यम-अवधि के फ्रेमवर्क के तहत कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफ़पीआई के लिए निवेश सीमा को अधिसूचित किया गया। साथ ही, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में एफ़पीआई के लिए निवेश सीमा जो 2020-21 के लिए लागू थी उसे 2021-22 के लिए अगली नोटिस तक बरकरार रखा जाएगा।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
12 मार्च 2020	रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर चलनिधि प्रदान करने के लिए 6-महीने के अमेरिकी डॉलर बिक्री/ खरीद स्वैप नीलामी की घोषणा की। इस तरह की पहली नीलामी 16 मार्च 2020[6] को की गयी।
27 मार्च 2020	रिज़र्व बैंक ने नीति रिपो दर से लिंक्ड फ्लोटिंग दर पर लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की। योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्राप्त चलनिधि निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना था। इस प्रकार की पहली टीएलटीआरओ नीलामी 27 मार्च 2020 को की गयी।

[6] कोविड-19 संक्रमण के कारण विश्व के वित्तीय बाजार अत्यधिक जोखिम पर बिक्री दबाव का सामना कर रहे थे इसलिए यह घोषणा की गयी।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
30 मार्च 2020	कोविड-19 के प्रभाव के कारण व्यवधानों को ध्यान में रखकर अंतरिम उपाय के रूप में निर्धारित दर रिवर्स रिपो और एमएसएफ परिचालन विंडो टाइमिंग का विस्तार करने का निर्णय लिया गया ताकि पात्र बाजार सहभागियों को उनके चलनिधि प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके।
17 अप्रैल 2020	रिज़र्व बैंक ने नीति रिपो दर पर लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) 2.0 का संचालन करने की घोषणा की। बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना है, जिसमें से कुल राशि का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा छोटे और मध्य आकार के एनबीएफसी और एमएफआई के लिए नियोजित करना है। इस सुविधा के अंतर्गत किया गया निवेश, एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल किए गए कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर भी परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत एक्सपोजर को भी वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इस तरह की पहली टीएलटीआरओ 2.0 नीलामी 23 अप्रैल 2020 को की गयी।
27 अप्रैल 2020	म्यूचुअल फंडों पर चलनिधि का दबाव कम करने के लिए म्यूचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए विशेष चलनिधि सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैंकों द्वारा सुविधा के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि का उपयोग केवल म्यूचुअल फंडों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। सुविधा के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल किए गए कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर भी, परिपक्वता तक धारित एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत एक्सपोजर को वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इस प्रकार की पहली एसएलएफ-एलएफ नीलामी 27 अप्रैल 2020 को की गयी।
30 अप्रैल 2020	यह निर्णय लिया गया कि एसएलएफ-एमएफ योजना के अंतर्गत घोषित विनियामक लाभों को सभी बैंकों को दिया जाए, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि म्यूचुअल फंड के चलनिधि जरूरतों के लिए वे रिज़र्व बैंक से निधि प्राप्त करते है या अपने स्वयं के संसाधन से नियोजित करते है।
1 जुलाई 2020	• एनबीएफ़सी (सूक्ष्म-वित्त संस्थानों- एमएफ़आई सहित)/आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) की चलनिधि की स्थिति में सुधार करने के लिए, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ₹30,000 करोड़ की योजना को अधिसूचित किया गया। • एसबीआईकैप द्वारा स्थापित ट्रस्ट एसपीवी (विशेष प्रयोजन माध्यम), के द्वारा जारी किए गए सरकारी गारंटीकृत विशेष प्रतिभूतियों का समर्थन लेकर लगातार निधीकरण के माध्यम से विशेष चलनिधि योजना (एसएलएस) के तहत आरबीआई ने चलनिधि इंजेक्ट की। • कुछ वित्तीय मानकों को पूरा करने वाली एनबीएफ़सी (एमएफ़आई सहित/एचएफ़सी) को वित्तीय क्षेत्र के लिए किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचाने के लिए चलनिधि तक पहुँच प्रदान की गयी थी।
6 अगस्त 2020	कोविड-19 के व्यवधानों के कारण मानव संसाधन का नियोजन करने और पात्र एलएएफ / एमएसएफ प्रतिभागियों को अपने दिन की समाप्ति पर आरक्षित नकदी निधिअनुपात (सीआरआर) शेष के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपने ई-कुबेर सिस्टम में वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया।
31 अगस्त 2020	• बैंकों को दीर्घावधि रिपो परिचालन (एलटीआरओ) योजना के तहत प्राप्त धनराशि को परिपक्वता से पहले चुकाने का विकल्प दिया गया था। इसके बाद, बैंकों ने कुल ₹1,25,117 करोड़ एलटीआरओ निधियों में से ₹1,23,572 करोड़ वापस कर दिया। • अग्रिम कर बहिर्वाह के कारण चलनिधि दबाव को कम करने के लिए 11 सितंबर और 14 सितंबर, 2020 को कुल ₹1,00,000 करोड़ राशि के लिए अस्थिर दरों (रिपो दरों) पर दो 56-दिवसीय सावधि रिपो नीलामियों का आयोजन करने की घोषणा की गयी।
9 अक्टूबर 2020	• विशिष्ट क्षेत्रों में गतिविधि के पुनरुद्धार पर चलनिधि उपायों के ध्यान केंद्रण को बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने ऑन टैप लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) योजना की घोषणा की। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि अस्थिर दर (रिपो दर) पर अंतिम उपयोग निर्देश के साथ कुल ₹1,00,000 करोड़ राशि के लिए तीन साल की अवधि तक ऑन टैप लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन को संचालित किया जाएगा। ऑन टैप टीएलटीआरओ के अंतर्गत निवेश परिपक्वता-तक-धारित (एचटीएम) पोर्टफोलियो के लिए पात्र हैं और उन्हें बड़े एक्स्पोज़र फ्रेमवर्क से छूट दी गयी। योजना को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया।

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
	• जैसा कि विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, बैंकों को परिपक्वता से पहले टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन को चुकाने का एक विकल्प दिया गया था। इस योजना को 21 अक्टूबर 2020 को अधिसूचित किया गया। इसके बाद, बैंकों द्वारा टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0 की ₹37,348 करोड़ राशि का भुगतान कर दिया गया। • रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति रुख के अनुरूप बाज़ार को आरामदायक चलनिधि स्थिति में बनाए रखने का आश्वासन देने के लिए खुले बाज़ार परिचालन (ओएमओ) की राशि बढ़ाकर ₹20,000 करोड़ करने का निर्णय लिया। • राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में चलनिधि प्रदान करने तथा किफायती कीमतें निर्धारण की सुविधा के लिए 2020-21 के दौरान एसडीएल में एक विशेष मामले के रूप में ओएमओ आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, अक्टूबर 2020 से एसडीएल में ₹30,000 करोड़ की राशि के तीन ओएमओ आयोजित किए गए।
4 दिसंबर 2020	9 अक्टूबर, 2020 को घोषित ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना का विस्तार 21 अक्टूबर 2020 को पहचाने गए पाँच क्षेत्रों के अलावा 26 दबावग्रस्त क्षेत्रों (कामथ समिति द्वारा चयनित और सरकार कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस 2.0) के तहत उपलब्ध क्रेडिट गारंटी के अनुरूप) को समाहित करने के लिए किया गया था।
8 जनवरी 2021	सामान्य चलनिधि प्रबंधन कार्यों को चरणबद्ध तरीके से बहाल करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 15 जनवरी 2021 से 14 दिन परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो नीलामी का आयोजन शुरू किया।
5 फरवरी 2021	जैसा कि 5 फरवरी 2021 की विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, बैंकों को ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना के तहत एनबीएफ़सी को निधियां प्रदान करने की छूट दी गयी।
25 मार्च 2021	• रिज़र्व बैंक ने 26 मार्च 2021 और 31 मार्च 2021 को ₹25,000 करोड़ की दो फ़ाइन ट्यूनिंग परिवर्तनीय दर रिपो नीलामियों की घोषणा की ताकि चलनिधि की किसी भी अतिरिक्त/अप्रत्याशित मांग को पूरा किया जा सके और वर्ष के अंत में चलनिधि प्रबंधन में बैंकिंग प्रणाली को लचीलापन प्रदान किया जा सके। एक विशेष मामले के रूप में, स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारियों को अन्य पात्र सहभागियों के साथ इन नीलामियों में भाग लेने की अनुमति दी गयी। • इसके अलावा, वर्ष के अंत की आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बारगी उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया कि 26 मार्च 2021 से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए किसी भी परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी का संचालन नहीं किया जाएगा।
विदेशी मुद्रा विभाग	
17 मार्च 2020	एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत जापानी येन को निपटान करेंसी के रूप में अनुमति दी गयी। विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 में तदनुसार संशोधन किए गए।
1 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप, भारत सरकार के साथ परामर्श से यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 31 जुलाई 2020 तक अथवा इस तिथि को निर्यात किए गए माल या सॉफ्टवेयर अथवा सेवाओं के पूर्ण निर्यात-मूल्य को दर्शाने वाली राशि की वसूली तथा भारत में उक्त राशि के प्रत्यावर्तन की मौजूदा अवधि को, निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ा कर पंद्रह महीने किया जाए।
3 अप्रैल 2020	भारत सरकार के साथ परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत निधि (पीएम-केयर्स फंड)' के पक्ष में विदेशी विनिमय गृहों के माध्यम से अनिवासियों से विदेशी आवक विप्रेषण प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि एडी श्रेणी-I बैंक इन विप्रेषणों को 'पीएम- केयर्स फंड' में सीधे जमा करेंगे तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के अंतर्गत दान/योगदान भेजने वाले अनिवासियों के पूर्ण ब्यौरे अपने पास बनाए रखेंगे।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
22 मई 2020	कोविड-19 महामारी के कारण व्यवधानों को ध्यान में रखकर 31 जुलाई 2020 को अथवा उससे पूर्व किए गए आयातों के संबंध में, सामान्य आयातों अर्थात स्वर्ण/हीरे तथा मूल्यवान रत्नों/आभूषणों के आयात को छोड़कर (उन मामलों को छोड़कर जहां कार्यनिष्पादन की गारंटी को रोककर रखा गया है) विप्रेषणों के निपटान हेतु निर्धारित समय-सीमा को शिपिंग की तारीख से छह महीनों से बढ़ा कर बारह महीने किया गया।
11 अगस्त 2020	विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 में संशोधन किया गया और परिवर्तनों को अधिसूचित किया गया।
9 अक्टूबर 2020	प्रणाली को अधिक निर्यातक अनुकूल और निष्पक्ष बनाने की दृष्टि से, निर्यातकों का सतर्कता सूची में स्वचालित रूप से शामिल किया जाना समाप्त करने का निर्णय लिया गया। रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंक की मामला-विशिष्ट सिफारिशों के आधार पर सतर्कता सूची में शामिल किया जाना जारी रहेगा।
13 नवंबर 2020	कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने और अनुपालन की लागत को कम करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 में निर्धारित किए गए मौजूदा फार्मों एवं रिपोर्टों की समीक्षा की गई। तदनुसार, कुल 17 रिपोर्टों को समाप्त कर दिया गया।
17 नवंबर 2020	फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग पर दिशानिर्देशों की समीक्षा की गयी और उन्हे संशोधित किया गया।
23 नवंबर 2020	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भारत में विधि संबंधी व्यवसाय करने के उद्देश्य से भारत में किसी भी शाखा कार्यालय, परियोजना कार्यालय, संपर्क कार्यालय या व्यापार के अन्य स्थान को कोई अनुमोदन नहीं प्रदान करेंगे।
4 दिसंबर 2020	कारोबारी सुगमता को और बढ़ाने और अनुमोदन प्रक्रिया को तेज़ करने की दृष्टि से, माल और सेवाओं के निर्यात के संबंध में एडी श्रेणी –I बैंकों (एडी बैंक) को और अधिक अधिकार सौंपे गए।
16 फरवरी 2021	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (आईएफ़एससी) में वित्तीय बाज़ारों की गहरी पैठ बनाने तथा निवासी व्यक्तियों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के अवसर प्रदान करने के लिए, समीक्षा पर, निवासी व्यक्तियों को उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत भारत में स्थापित आईएफ़एससी में विप्रेषण करने की अनुमति दी गयी।
विनियमन विभाग: वाणिज्यिक बैंक	
17 मार्च 2020	• भारत सरकार द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर के उप-क्षेत्रों के लिए युक्तिसंगत मास्टर सूची (एचएमएल) के अंतर्गत किफायती आवास को शामिल करने के फलस्वरूप, किफायती आवास को ऋण देने की परिभाषा एचएमएल में दी गयी परिभाषा के साथ फिर से मिलायी गयी थी। तदनुसार, दीर्घावधि बॉण्ड जारी करने के उद्देश्य से और एचएमएल की किफायती आवास परिभाषा के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर व्यक्तियों को आवास इकाइयों को प्राप्त करने के लिए संशोधित परिभाषा में आवास ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत करने के लिए पात्र है (समय-समय पर अद्यतन)। • बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे निवेश अस्थिरता रिजर्व (आईएफआर) को, जो ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) तथा बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) पोर्टफोलियो से प्रतिभूतियों की बिक्री पर हुए कम से 2 प्रतिशत लाभ से सृजित हुआ हो, को निरंतर आधार पर कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की सीमा के बिना टिअर II पूंजी के रूप में गिना जाए।
23 मार्च 2020	बैंकों को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि जोखिम को क्रेडिट जोखिम शमन (सीआरएम) प्रदाता से मूल प्रतिपक्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है, भले ही प्रतिपक्ष भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति हो, यदि उस बैंक द्वारा एक्सपोजर/जोखिम भार के स्थानांतरण जैसे सीआरएम लाभ प्राप्त नहीं किए गए हैं। इस प्रकार एक्सपोजर भारत के बाहर निवासी व्यक्ति में स्थानांतरित होने पर, 150 प्रतिशत का न्यूनतम जोखिम भार होगा। गैर-केंद्रीय रूप से मंजूरी दिए गए डेरिवेटिव एक्सपोजर के लिए एलईएफ दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता की तारीख भी एक वर्ष के लिए 01 अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दी गयी।

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
27 मार्च 2020	• पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625 प्रतिशत के अंतिम ट्रैंच के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से आगे 30 सितंबर 2020 तक स्थगित किया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2018 से लागू न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात 31 मार्च 2020 से आगे भी छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा जब तक कि सीसीबी 30 सितंबर 2020 को 2.5 प्रतिशत का स्तर प्राप्त नहीं कर लेता। इसके अलावा, अतिरिक्त टिअर 1 लिखत, बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर तथा बेमीयादी कर्ज लिखत रूपांतरण/ राइट-डाउन के माध्यम से हानि के अवशोषण के लिए पूर्व-निर्धारित चेतावनी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के 5.5 प्रतिशत पर बना रहेगा और 30 सितंबर 2020 को आरडब्ल्यूए के 6.125 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। • नेट स्टेबल फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर) के कार्यान्वयन को छह महीने के लिए स्थगित कर 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 कर दिया गया। • कोविड-19 महामारी से निर्मित व्यवधानों के कारण ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए और अर्थक्षम व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कुछ विनियामकीय उपायों की घोषणा की गयी। मुख्य विशेषताओं में मीयादी ऋण और कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए भुगतान का पुनर्निर्धारण, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को आसान बनाना और उपर्युक्त राहतों के कार्यान्वयन के मद्देनजर विशेष उल्लिखित खाता (एसएमए) और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के वर्गीकरण से छूट शामिल है। • तत्काल प्रभाव से बैंक दर को 75 आधार अंक घटाकर 5.40 प्रतिशत से 4.65 प्रतिशत संशोधित किया गया। रिज़र्व अपेक्षाओं की पूर्ति में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज दरें भी जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं कमी की अवधि पर आधारित बैंक दर और 3.0 प्रतिशत अंक (पहले के 8.40 प्रतिशत से 7,65 प्रतिशत) अथवा बैंक दर और 5.0 प्रतिशत अंक (पहले के 10.40 प्रतिशत से 9.65 प्रतिशत) संशोधित की गयी हैं।
28 मार्च 2020	निजी क्षेत्र के एसएफबी के लिए मांग पर लाइसेंस पर दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया ताकि मौजूदा सभी एसएफबी को बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों के लिए मानदंडों के अनुपालन किए जाने के अधीन बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए सामान्य अनुमति प्रदान करना तथा जोखिम साझा न करने वाली सरल वित्तीय सेवा गतिविधियों को शुरू करने, जिसके लिए अपनी निधि प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं है, के लिए लघु वित्त बैंक के कारोबार शुरू होने के तीन साल बाद से रिज़र्व बैंक की पूर्व मंजूरी लेने से छूट दी गयी। प्रवर्तक और चुकता इक्विटी पूंजी पर भी स्पष्टीकरण दिया गया है।
30 मार्च 2020	भारत सरकार द्वारा 4 मार्च 2020 को घोषित कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समामेलन की योजना के अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स/ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/ आंध्र बैंक/ कॉर्पोरेशन बैंक/ सिंडिकेट बैंक/ इलाहाबाद बैंक (अंतरक बैंक) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटाया जाएगा क्योंकि उनका 1 अप्रैल 2020 से बैंकिंग कारोबार करना समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप, उनकी सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2020 से अपने-अपने अंतरिती बैंक (पंजाब नेशनल बैंक/ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/ केनरा बैंक/ इंडियन बैंक) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी और जमाकर्ताओं सहित उनके ग्राहकों को 1 अप्रैल, 2020 से संबंधित हस्तांतरित बैंकों के ग्राहकों के रूप में माना जाएगा।
31 मार्च 2020	• निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी और सीईओ)/सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति के संबंध में कुछ अनुदेशों की समीक्षा के आधार पर उम्मीदवार से प्राप्त की जाने वाली घोषणा और वचन पत्र तथा 'फॉर्म ए' (अपनी नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए बैंक द्वारा आवेदन) के साथ-साथ 'फॉर्म बी' (नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के अनुमोदन के लिए आवेदन) के नमूने को संशोधित किया गया था। दो अन्य बदलाव भी शुरू किए गए थे, जैसे पद की अवधि समाप्त होने से पहले एमडी और सीईओ की पुनर्नियुक्ति के लिए बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को कम से कम छह महीने (चार महीने की तुलना में) पहले पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए तथा नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति के लिए प्राथमिकता के क्रम में कम से कम दो नामों (वर्तमान में तीन की तुलना में) पैनल वाले प्रस्ताव को वर्तमान पदाधिकारी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कम से कम चार महीने पहले प्रस्तुत करना चाहिए।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
	• वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया था कि वे शाखाओं के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित फ्रेमवर्क विकसित करके अखिल भारतीय आधार पर इन सेवाओं को शुरू करें जहां ये सेवाएं अनिवार्य रूप से दी जाएंगी और सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर दी जाएंगी। यह सेवाएं देनेवाली शाखाओं की सूची बैंक की वेबसाइट पर नियमित रूप से दर्शाई/ अद्यतन की जानी चाहिए, इस संबंध में प्रभारों की सूचना भी सार्वजनिक की जानी चाहिए तथा बैंकों को अपने जन जागरुकता अभियानों में इन सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में समुचित प्रचार करना चाहिए। इस संबंध में हुई प्रगति से बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को प्रत्येक तिमाही में अवगत कराएंगे और बैंकों को सूचित किया गया है कि 30 अप्रैल 2020 तक उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
1 अप्रैल 2020	• प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि सीसीवाईबी (5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार फ्रेमवर्क, इस निर्णय कि पूर्व घोषणा के साथ शुरू किया गया था कि जब कभी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो इसे सक्रिय किया जाएगा) को एक वर्ष या उससे पहले सक्रिय नहीं किया जाएगा, जैसा कि आवश्यक हो। • केवाईसी पर दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश में संशोधन किया गया तथा इसे 31 मार्च 2020 की गजट अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएल) में संशोधन के अनुरूप किया गया। संशोधन, ग्राहक के लिए खोले गए छोटे खातों से संबंधित है, जो बैंकों को आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज (ओवीडी) प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, जिसके लिए पीएमएल नियमों में सीमा और शर्तें दी गयी हैं। यह संशोधन इसलिए किया गया है कि सरकार द्वारा लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) राशियों को अंतरित करने और केवाईसी अपेक्षाओं के कारण लाभार्थियों को उनकी जरूरतों के लिए राशि आहरित करने में कोई भी कठिनाई न हो।
17 अप्रैल 2020	• यह निर्णय लिया गया कि उन सभी खातों के संबंध में जिनके लिए ऋण देने वाली संस्थाएं अधिस्थगन या स्थगन देने का निर्णय लेते हैं, और जो 1 मार्च 2020 को मानक थे, 90 दिन का एनपीए मानदंड मानक अधिस्थगन अवधि में शामिल नहीं है, अर्थात 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक ऐसे सभी खातों के लिए आस्ति वर्गीकरण नहीं होगा। इसी के साथ बैंकों को पर्याप्त बफर बनाए रखने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए रखने के उद्देश्य से दो तिमाहियों यानी मार्च 2020 और जून 2020 तक उन्हें दो तिमाहियों में स्टैंडस्टिल स्प्रेड के अंतर्गत आनेवाले ऐसे सभी खातों पर 10 प्रतिशत का उच्च प्रावधान बनाए रखना होगा। इन प्रावधानों को बाद में ऐसे खातों के वास्तविक स्लिपेज की प्रावधान अपेक्षाओं के लिए समायोजित किया जा सकता है। • 7 जून 2019 के रिज़र्व बैंक के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के अंतर्गत, वर्तमान में एससीबी को चूक उधारकर्ता के बड़े खातों के मामले में यदि समाधान योजना 210 दिनों के भीतर लागू नहीं की गयी है तो ऐसे चूक की तारीख से 20 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान रखना जरूरी है। वर्तमान अस्थिर वातावरण में दबाववग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए चुनौतियों का निर्धारण करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि संकल्प योजना की अवधि 90 दिनों तक बढ़ायी जाए। • अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और अत्यधिक अनिश्चितता के माहौल में घाटे को अवशोषित करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए बैंकों की पूंजी के संरक्षण की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि अगले अनुदेश तक एससीबी 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ से आगे कोई लाभांश भुगतान नहीं करेंगे। 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही में बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर इस प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी। • व्यक्तिगत संस्थाओं के स्तर पर चलनिधि स्थिति को सहज बनाने के लिए, एससीबी की एलसीआर अपेक्षाओं को तत्काल प्रभाव से 100 प्रतिशत से 80 प्रतिशत किया गया। एलसीआर अपेक्षाओं को धीरे-धीरे दो चरणों में पुन: स्थापित किया जाएगा- 1 अक्टूबर 2020 तक 90 प्रतिशत और 1 अप्रैल 2021 तक 100 प्रतिशत।

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
20 अप्रैल 2020	वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सिफारिशों के प्रावधानों को रिज़र्व बैंक के अनुदेशों को अनुरूप करने के लिए धन शोधन/आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा आंतरिक जोखिम आकलन के संबंध में केवाईसी पर मास्टर निदेश को अद्यतन किया गया[1]। आरई द्वारा किया गया आंतरिक जोखिम आकलन उनके आकार, भौगोलिक उपस्थिति, गतिविधियों/संरचना की जटिलता आदि के अनुरूप होना चाहिए। आरई को पहचाने गए जोखिम शमन और प्रबंधन के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) लागू करना होगा और इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, नियंत्रण और पद्धति होनी चाहिए। मूल्यांकन का समुचित दस्तावेजीकरण करना चाहिए और परिणाम की सूचना बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति को देनी चाहिए।
23 अप्रैल 2020	बैंकों को, अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ओवरड्राफ्ट खाते,जो किसी विशिष्ट अंतिम-उपयोग प्रतिबंध के बिना व्यक्तिगत ऋण स्वरूप के हैं, रखने वाले प्राकृतिक व्यक्तियों केवल घरेलू ऑनलाइन/गैर-नकद लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दी गयी। नकद लेनदेन पर यह प्रतिबंध प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के साथ प्रदान की गयी ओवरड्राफ्ट सुविधा पर लागू नहीं होगा। कार्ड ग्राहक को दी गयी सुविधा की वैधता से अधिक की अवधि के लिए नहीं जारी किया जाएगा और ऋणदाता के रूप में बैंकों के सामान्य अधिकारों के अधीन होगा। कार्ड ग्राहक को दी गयी सुविधा की वैधता से अधिक की अवधि के लिए नहीं जारी किया जाएगा और डेबिट कार्ड पर लागू सभी निबंधन और शर्तों तथा सुरक्षा पहलू आदि इन कार्डों पर लागू होंगे।
29 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए, विभिन्न विनियामकीय विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए विनियमित संस्थाओं द्वारा 30 जून 2020 तक प्रस्तुत की जाने वाली विनियामकीय विवरणियों की समय सीमा बढ़ायी गयी है तथा यह विवरणियां नियत तारीख से 30 दिनों तक विलंब से प्रस्तुत की जा सकती हैं। हालांकि, सांविधिक विवरणियां, अर्थात बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949; आरबीआई अधिनियम 1934 या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित विवरणी (यथा, सीआरआर /एसएलआर से संबंधित विवरणी), प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा के विस्तार की अनुमति नहीं है।
13 मई 2020	भारत सरकार ने पोतलदान-पूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना को और एक वर्ष के लिए अर्थात 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक विस्तार हेतु अपना अनुमोदन दिया है और इस योजना के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी मौजूदा परिचालन अनुदेश 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे।
22 मई 2020	22 मई 2020 से बैंक दर को 40 आधार अंक घटाकर 4.65 प्रतिशत से 4.25 प्रतिशत संशोधित कर दिया गया है। तदनुसार सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, कमी की अवधि पर आधारित बैंक दर और 3.0 प्रतिशत अंक (पहले के 7.65 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत) अथवा बैंक दर और 5.0 प्रतिशत अंक (पहले के 9.65 प्रतिशत से 9.25 प्रतिशत) संशोधित की गयी हैं।
23 मई 2020	• बाजार की आकस्मिक अनिश्चितताओं के कारण जिन कॉर्पोरेट को पूंजी बाजार से धन जुटाने में कठिनाइयां हो रही हैं और जो मुख्य रूप से बैंक फंडिंग पर निर्भर हैं, उन्हें संसाधनों के अधिक प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंतर्गत संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति बैंक के एक्सपोजर को बैंक के पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। बढ़ी हुई सीमा 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। • मार्च और अप्रैल 2020 में जारी कोविड-19 विनियामकिय पैकेज को आगे बढ़ाते हुए वास्तविक अर्थव्यवस्था में वित्तीय दबाव के संचरण को रोकने के लिए और लॉकडाउन के विस्तार के कारण लगातार आर्थिक व्यवधान पर व्यवहार्य कारोबार और परिवारों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की गयी, जिनके अंतर्गत चुकौती के दबाव में छूट देने और ऋण चुकौती के बोझ को कम करके कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार शामिल हैं। • अस्थिर वातावरण में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की निरंतर चुनौतियों के कारण अप्रैल 2020 के पहले के अनुदेशों के अनुसरण में, समीक्षा के बाद, 7 जून 2019 के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क में निर्धारित समाधान समय सीमा को और आगे बढ़ा दिया गया। यह उन खातों के संबंध में लागू था, जो शर्तों के अधीन 1 मार्च 2020 की समीक्षा अवधि के भीतर और बाद में थे।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
	• निर्यातकों द्वारा उत्पाद और उगाही चक्र में झेली जा रही वास्तविक कठिनाइयों को कम करने के लिए 31 जुलाई 2020 तक किए गए संवितरण के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत पोत-लदानपूर्व तथा पोत-लदान के पश्चात के निर्यात ऋण की अधिकतम स्वीकार्य अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 15 महीने किया गया है। यह 31 जुलाई 2020 तक किए गए निर्यात के संबंध में भारत में निर्यात से प्राप्त आय की उगाही और प्रत्यावर्तन की अवधि को निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ाकर 15 महीने करने की पहले ही दी गयी अनुमति के अनुक्रम में था।
21 जून 2020	जैसा कि एमएसएमई उधारकर्ताओं को भारत सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत दी गयी क्रेडिट सुविधाएं, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा गारंटीकृत है तथा भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी द्वारा समर्थित हैं, उधार देने वाली सदस्य संस्थाएं, जैसे एससीबी, (अनुसूचित आरआरबी सहित), एनबीएफसी (योजना के अंतर्गत पात्र एचएफसी सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्था को गारंटी कवरेज की सीमा तक योजना के अंतर्गत दी गयी क्रेडिट सुविधाओं पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार आबंटित करने की अनुमति दी गयी।
1 जुलाई 2020	बैंकों को दबावग्रस्त एमएसएमई योजना के लिए अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत प्राप्त ऋणों के माध्यम से अपनी एमएसएमई इकाइयों में प्रमोटरों द्वारा डाली गई निधि की ऋण-इक्विटि गणना के लिए प्रमोटरों से इक्विटि/ क्वासी इक्विटि के रूप में गणना करने की अनुमति दी गयी थी (जहां ऋण सुविधाएं सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फ़ंड ट्रस्ट से गारंटी द्वारा समर्थित हैं)
6 अगस्त 2020	• सभी वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों/ राज्य सहकारी बैंकों/ ज़िला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, एनबीएफ़सी (आवास वित्त कंपनियों सहित) और सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफ़आई) के कोविड-19 संबंधित तनाव के समाधान के लिए कुछ शर्तों के अधीन एक अवसर प्रदान किया गया ताकि कोविड-19 महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में हुई गिरावट के कारण वित्तीय तनाव ग्रस्त वास्तविक क्षेत्र की गतिविधियों का पुनःप्रवर्तन किया जा सके। समाधान फ्रेमवर्क को 31 दिसंबर 2020 तक लागू किया जाना था और लागू किए जाने पर व्यक्तिगत ऋण के संबंध में 90 दिन और अन्य पात्र ऋण एक्स्पोज़र के संबंध में 180 दिन के भीतर कार्यान्वित किया जाना था। इसके अलावा, एमएसएमई को आस्ति वर्गीकरण डाउनग्रेड के बिना ऋणों के एक बारगी पुनर्गठन की सुविधा उन व्यवहार्य एमएसएमई संस्थाओं तक विस्तारित की जाएगी जहां उधारकर्ता का खाता 1 मार्च 2020 तक ' मानक संपत्ति' के रूप में था और बैंकों और एनबीएफ़सी का कुल एक्स्पोज़र ₹25 करोड़ से अधिक नहीं था। कुछ शर्तों के अधीन, पुनर्गठन को 31 मार्च 2020 तक लागू किया जाना था। • बासेल III पूंजी विनियमों के तहत ऋण म्यूचुअल फंड /एक्स्चेंज ट्रेडेड फ़ंड में निवेश, जिससे की बैंकों की पर्याप्त पूंजी बचत होती है, के बाज़ार जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना के लिए बैंकों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए। • गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सोने के गहनों और आभूषणों की जमानत पर ऋण के लिए स्वीकार्य मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात (एलटीवी) को 75 प्रतिशत से अस्थायी रूप से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। यह बढ़ाया गया एलटीवी अनुपात 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा । 1 अप्रैल, 2021 को और उसके बाद स्वीकृत नए स्वर्ण ऋणों पर पहले की भांति 75 प्रतिशत का एलटीवी अनुपात लागू होगा। • क्रेडिट अनुशासन में सुधार के उद्देश्य से बैंकों द्वारा चालू खाते, नकद ऋण (सीसी) खाते और ओवरड्राफ्ट (ओडी) खाते खोलने और संचालन से संबन्धित शर्तें को निर्धारित करने वाले दिशानिर्देश जारी किए गए। मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, बैंकों को 5 नवंबर 2020 तक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना था। इस अनुपालन को सुनिश्चित करने की सीमा को 2 नवंबर, 2020 के परिपत्र के माध्यम से 15 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया था। समीक्षा करने पर, बैंकों को 14 दिसंबर 2020 के परिपत्र के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के विभिन्न विधियों और अन्य नियामकों/ विनियामक विभागों के अनुदेशों के तहत निर्धारित किए गए विशिष्ट खाते खोलने की अनुमति दी गयी थी। परिपत्र में इन दिशानिर्देशों के सुचारु और समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार से अनुमत खातों की निदर्शी सूची तथा कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने वाले अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यू) का एक सेट भी दिया गया है।

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
1 सितंबर 2020	यह निर्णय लिया गया कि बैंकों को उनके द्वारा 1 सितंबर 2020 को या उसके बाद हासिल की गयी एसएलआर प्रतिभूतियों को 31 मार्च 2021 तक, एनडीटीएल की 22 प्रतिशत की समग्र सीमा तक एचटीएम श्रेणी के तहत रखने की अनुमति दी जाएगी, जिसकी उसके बाद समीक्षा की जाएगी।
3 सितंबर 2020	• "वेस्टपैक बैंकिंग कॉर्पोरेशन" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है। • बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 36ए के उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत एक बैंकिंग कंपनी के रूप में "वेस्टपैक बैंकिंग निगम" की समाप्ति। • बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 36ए की उप-धारा (2) के तहत एक बैंकिंग कंपनी के रूप में "आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंक लिमिटेड" की समाप्ति।
7 सितंबर 2020	रिज़र्व बैंक द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री के. वी. कामथ) द्वारा अनुशंसित पाँच प्रमुख अनुपात/ मापदंडो को ऋणदाता संस्थानों द्वारा कोविड-19 संबन्धित तनाव के तहत पात्र उधारकर्ताओं के संबंध में एक समाधान योजना को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, और 26 क्षेत्रों के लिए संबन्धित सीमा अधिसूचित की गयी थी। अन्य क्षेत्रों के संबंध में, उधार देने वाली संस्थाओं को कुछ शर्तों के अधीन, अपना आंतरिक मूल्यांकन करने की अनुमति दी गयी थी।
29 सितंबर 2020	• कोविड-19 के कारण संभावित तनाव को देखते हुए, बैंकों को कुछ विवेकपूर्ण मानदंडों के कार्यान्वयन को स्थगित करने की सलाह दी गयी थी। • पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की 0.625 प्रतिशत की अंतिम शृंखला के कार्यान्वयन को 30 सितंबर 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जिसे उसके बाद फिर से (5 फरवरी 2021 को) छह महीनों के लिए 1 अक्टूबर 2021 तक स्थगित कर दिया गया। • चलनिधि मानकों पर बासेल III फ्रेमवर्क के तहत निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफ़आर) के कार्यान्वयन को 1 अक्टूबर 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जो, आगे और छह महीने 1 अक्टूबर 2021 तक स्थगित कर दिया गया।
30 सितंबर 2020	1 अप्रैल 2020 से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की दूसरी अनुसूची से "इलाहाबाद बैंक" "आंध्र बैंक" "कार्पोरेशन बैंक" "ओरिऐंटल बैंक ऑफ कॉमर्स" "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया" और "सिंडिकेट बैंक" को बाहर कर कर दिया गया तथा बैंकिंग कंपनी के रूप में इनकी समाप्ति हो गयी।
12 अक्टूबर 2020	• 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच ली गई एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए एचटीएम में एसएलआर धारिता की 22 प्रतिशत (पिछली 19.5 प्रतिशत के बदले) की समग्र सीमा की छूट को 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 तक विस्तार दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस बढ़ाई गई एचटीएम सीमा को चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत तक लाया जाएगा, जो 30 जून 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही से शुरु होगा। • रिज़र्व बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, बैंकों के विनियामकीय खुदरा पोर्टफ़ोलियो में शामिल एक्सपोज़र को 75 प्रतिशत का जोखिम भार सौंपा गया है, जिसमें एक प्रतिपक्ष के प्रति अधिकतम ₹5 करोड़ का कुल खुदरा एक्स्पोज़र निर्धारित है। सभी नए साथ ही मौजूदा एक्स्पोज़र के संबंध में ₹5 करोड़ की सीमा को बढ़ाकर ₹7.5 करोड़ कर दिया गया जहां बैंकों द्वारा ₹7.5 करोड़ की संशोधित सीमा तक वृद्धिशील एक्स्पोज़र लिया जा सकता है। यह निर्देश स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) और आरआरबी को छोड़कर सभी एससीबी, जिसमें छोटे वित्त बैंक (एसएफ़बी) भी शामिल हैं पर लागू है।
16 अक्टूबर 2020	एक प्रतिचक्रीय उपाय के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि 16 अक्टूबर 2020 या उसके बाद 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत किए गए सभी नए व्यक्तिगत आवास ऋणों के लिए ऋण की राशि पर ध्यान दिए बिना, जोखिम भार को युक्तिसंगत बनाया जाए। 80 प्रतिशत या उससे कम एलटीवी अनुपात के लिए जोखिम भार 35 प्रतिशत होगा तथा 80 प्रतिशत से अधिक और 90 प्रतिशत या उससे कम एलटीवी अनुपात के लिए जोखिम भार 50 प्रतिशत होगा।
20 अक्टूबर 2020	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की दूसरी अनुसूची में दस समामेलित आरआरबी को शामिल किया गया, और पुराने 21 आरआरबी को हटा दिया गया।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
27 अक्टूबर 2020	सभी ऋणदाता संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे भारत सरकार द्वारा घोषित विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का अनुग्रह भुगतान देने के लिए योजना (1.3.2020 से 31.8.2020) के प्रावधानों से निर्देशित हों।
4 दिसंबर 2020	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को कुछ मानदंडों को पूरा करने के अधीन चलनिधि प्रबंधन के लिए एक अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने हेतु अनुसूचित आरआरबी को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) प्रदान की गई। • यह निर्णय लिया गया है कि बैंक वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित मुनाफे से इक्विटी शेयरों पर कोई लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे।
18 दिसंबर 2020	विनियमित संस्थाएं (आरई), धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद खोले गए सभी व्यक्तिगत खातों से संबंधित केवाईसी डेटा केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) पर अपलोड कर रही हैं। चूंकि सीकेवाईसीआर अब व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए पूरी तरह से परिचालित है, अब सीकेवाईसीआर को विधिक संस्थाओं (एलई) तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, आरई अप्रैल 1, 2021 को या उसके बाद खोले गए एलई के खातों से संबंधित केवाईसी डेटा सीकेवाईसीआर पर अपलोड करेंगे।
19 जनवरी 2021	घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की गयी। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की पहचान 2018 के डी-एसआईबी की सूची के समान बकेटिंग संरचना के तहत घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में की गयी।
27 जनवरी 2021	क्रिसिल लिमिटेड का रेटिंग कारोबार अब क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड, क्रिसिल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी को अंतरित हो जाने के परिणामस्वरूप बैंक को सूचित किया गया कि वह पूंजी पर्याप्तता के लिए अपने दावों का जोखिम भार निर्धारित करने के प्रयोजन से क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड की रेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा दी गई दीर्घकालिक और अल्पकालिक रेटिंग के लिए रेटिंग-रिस्क वेट मैपिंग वैसा ही होगा, जैसा कि क्रिसिल लिमिटेड के मामले में था और क्रिसिल लिमिटेड द्वारा पहले दिए जा रहे रेटिंग प्रतीकों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
5 फरवरी 2021	• सीआरआर को निर्बाध रूप में दो चरणों में धीरे-धीरे बहाल करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, बैंकों को 27 मार्च 2021 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सीआरआर को अपने एनडीटीएल के 3.50 प्रतिशत और 22 मई 2021 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी एनडीटीएल के 4.00 प्रतिशत पर बनाए रखने की आवश्यकता बताई गयी। • सीमांत स्थायी सुविधा पर छूट जो शुरू में 30 जून, 2020 तक उपलब्ध थी, बाद में इसे 31 मार्च, 2021 तक चरणों में विस्तारित किया गया था। अब इसकी अवधि को पुनः छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया। यह सुविधा बैंकों को उनकी चलनिधि आवश्यकताओं में राहत देगी और साथ ही उन्हें अपनी चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। इस सुविधा ने बैंकों को एमएसएफ़ के तहत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत अतिरिक्त अर्थात संचयी रूप से एनडीटीएल के तीन प्रतिशत तक की छूट देकर निधि का लाभ उठाने की अनुमति भी देती है। • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए 'नए एमएसएमई उधारकर्ताओं' को संवितरित ऋण की समतुल्य राशि उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाने की अनुमति दी जाएगी। इस छूट के उद्देश्य से, उन एमएसएमई उधारकर्ताओं को 'नए एमएसएमई उधारकर्ताओं' के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जिन्होंने 1 जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार बैंकिंग प्रणाली से कोई ऋण सुविधा नहीं ली है। यह छूट प्रति उधारकर्ता ₹25 लाख तक और 1 अक्टूबर 2021 को समाप्त होने वाले पखवाड़े तक संवितरित ऋण के लिए उपलब्ध होगी और ऋण के आरंभ की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि के लिए या ऋण की समयावधि, जो भी पहले हो, तक होगी।

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
	• यह निर्णय लिया गया कि एनडीटीएल की 22 प्रतिशत की बढ़ाई गई एचटीएम सीमा संबंधी छूट को, 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022 के बीच ली गई एसएलआर योग्य प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए, 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि इस बढ़ाई गई एचटीएम सीमा को चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत तक लाया जाएगा, जो 30 जून 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही से शुरु होगा। पहले, रिज़र्व बैंक ने एचटीएम श्रेणी के तहत सीमा को 19.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि के बीच ली जाने वाली एसएलआर योग्य प्रतिभूतियों के एनडीटीएल के 22 प्रतिशत तक कर दिया था। यह सीमा 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध थी।
17 फरवरी 2021	उन उधारकर्ताओं के कर एवं मूल्यह्रास पूर्व अर्जन पर यूएफ़सीई के संभावित प्रभाव को देखते हुए उन उधारकर्ताओं के लिए जिनके अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्स्पोज़र (यूएफ़सीई) हैं, बैंकों को अतिरिक्त प्रावधान तथा अतिरिक्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता जताई गयी। दिशानिर्देशों में अधिदेशित किया गया कि बैंकों द्वारा संस्थाओं से तिमाही आधार पर स्वयं-प्रमाणन के आधार पर यूएफसीई पर सूचना प्राप्त की जाए तथा अधिमानतः इसे संबंधित संस्था द्वारा आंतरिक रूप से लेखा-परीक्षित किया जाए। लेखा को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ऐसी सूचनाओं के प्रकटन पर रोक के कारण सूचीबद्ध संस्थाओं के मामलों में, बैंकों को अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में ठीक पूर्ववर्ती तिमाही की स्थिति का प्रयोग करने की अनुमति दी गयी।
23 फरवरी 2021	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “फ़िनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल किया गया।
24 फरवरी 2021	वृहत् एक्स्पोज़र ढांचा (एलईएफ़) पर 3 जून, 2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार और राज्य सरकारों के प्रति एक्स्पोज़रों को एलईएफ़ सीमाओं से छूट है। विदेशी सरकारों /केंद्रीय बैंकों के प्रति एक्स्पोज़र हर समय बैंक के उपलब्ध पात्र पूंजी आधार के 20 प्रतिशत की एकल प्रतिपक्ष सीमा के अधीन थे। समीक्षा करने पर, इसे बासेल दिशानिर्देशों के अनुरूप लाने के लिए जो कि सभी सरकारी एक्स्पोज़र को एलईएफ़ से छूट की अनुमति देता है, यह निर्णय लिया गया कि विदेशी सरकार या उनके केन्द्रीय बैंकों के उन एक्स्पोज़र को एलईएफ़ की प्रयोज्यता से छूट दी जाए जो शून्य प्रतिशत जोखिम भार के अधीन हैं (विदेशी सरकारी/केन्द्रीय बैंक जिसकी रेटिंग एए- या उच्चतर है) और, उस सरकार की घरेलू मुद्रा में मूल्यवर्गित हो तथा उसी मुद्रा संसाधनो से पूरे किए गए हों।
12 मार्च 2021	कोविड-19 के कारण पुनर्संरचना पर क्रेडिट जानकारी प्राप्त करने के लिए ऋणदाताओं द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को ऋण सूचना प्रस्तुत करने हेतु डेटा फॉरमेट में कुछ बदलाव किए गए। यह 6 अगस्त 2020 के रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसने उधारदाताओं को कोविड-19 महामारी के कारण दबावग्रस्त योग्य उधारकर्ताओं के संबंध में एक समाधान योजना को लागू करने के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के तहत एक अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही ऋणदाता संस्थानों द्वारा ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में सीआईसी को क्रेडिट रिपोर्टिंग करने का भी प्रावधान दिया ताकि खाते की ‘पुनर्संरचित’ स्थिति को भी दर्शाया जा सके।
23 मार्च 2021	23 मार्च, 2020 के एलईएफ़ से संबंधित जारी निर्देशों की समीक्षा पर, यह निर्णय लिया है कि गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्स्पोज़र को 30 सितंबर 2021 तक एक्स्पोज़र सीमा से बाहर रखा जाएगा।
30 मार्च 2021	अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 की धारा 4 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने (ए) "डेरिवेटिव"; एवं (बी) "रेपो" और "रिवर्स रेपो" लेनदेनों को अर्हित वित्तीय संविदा के रूप में अधिसूचित किया। तदनुसार, बासल III पूंजी विनियमावली, बासल III चलनिधि मानकों संबंधी ढांचा - एनएसएफ़आर- अंतिम दिशानिर्देश, अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानन (आईआरएसीपी) करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड और पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश- नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ़) के परिपत्रों में निहित चुनिंदा अनुदेशों को सुधारा/ संशोधित किया गया।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
विनियमन विभाग: सहकारी बैंक	
13 मार्च 2020	एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण एक्सपोजर और बड़े एक्सपोजर की सीमाएं तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन पर शहरी सहकारी बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए।
20 अप्रैल 2020	सर्व समावेशी निर्देश के अंतर्गत प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के अंतर बैंक एक्सपोजर के लिए प्रावधान पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
24 अप्रैल 2020	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शसबैं) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति में चूक – ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और अन्य निधियों में अंशदान पर दिशानिर्देश।
8 जून 2020	रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों तथा नाबार्ड द्वारा लगायी गयी अतिरिक्त शर्तें, यदि कोई हो, को पूरा करने के अधीन, पंजाब सरकार को राज्य के डीसीसीबी का पंजाब स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में विलय के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया गया।
12 अगस्त 2020	आस्ति वर्गीकरण प्रक्रिया की क्षमता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को बढ़ाने हेतु, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को उनके आस्तियों के आकार के आधार पर, सिस्टम-आधारित आस्ति वर्गीकरण को कार्यान्वित करने के लिए 30 जून या 30 सितंबर 2021 जैसे भी हो प्रभावी करने का निर्णय लिया गया।
26 अगस्त 2020	कोविड-19 महामारी के चलते बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 31 के साथ पठित धारा 56 के तहत रिटर्न जमा करने में यूसीबी के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के रिटर्न जमा करने की समय सीमा को 3 महीने बढ़ाकर अर्थात 30 सितंबर 2020 कर दिया गया।
7 अक्टूबर 2020	3 मार्च, 2020 से प्रभावी एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना (2018) में सभी सहकारी बैंकों को भी पात्र ऋणदाता संस्थानों के रूप में शामिल कर लिया गया।
13 अक्टूबर 2020	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 31 के साथ पठित धारा 56 के तहत सहकारी बैंकों के लिए रिटर्न जमा करने की तारीख को और बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया।
5 फरवरी 2021	शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को अपने निदेशकों या उनके रिश्तेदारों या उन फर्मों / कंपनियों / प्रतिष्ठानों जिनमें उनके निदेशक या निदेशक के रिश्तेदार रुचि रखते हैं को, कोई भी ऋण व अग्रिम अथवा कोई अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करने के लिए सूचित किया गया। स्टाफ निदेशकों को ऋण; वेतनभोगी यूसीबी के बोर्ड पर मौजूद निदेशकों को सदस्यों के लिए यथा लागू सामान्य ऋण; यूसीबी के प्रबंध निदेशकों / मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सामान्य कर्मचारी-संबंधी ऋण; सरकारी प्रतिभूतियों, सावधि जमाओं और जीवन बीमा पॉलिसियों, जो उनके नाम पर हैं, के बदले निदेशकों या उनके रिश्तेदारों को ऋण, को ऋण और अग्रिम में शामिल नहीं किया जाएगा। संशोधित निर्देशों में महत्वपूर्ण शब्दों जैसे 'अग्रिम', 'रूचि रखा हुआ', 'पर्याप्त रूचि', 'नियंत्रण', और 'प्रमुख शेयरधारक', को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया।
23 मार्च 2021	रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) द्वारा संशोधित, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए और धारा 44ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूसीबी के स्वैच्छिक समामेलन पर मास्टर निदेश जारी किया।
विनियमन विभाग: एनबीएफसी	
13 मार्च 2020	इंड एएस लागू करने वाली एनबीएफ़सी और एआरसी के लिए विशिष्ट विवेकपूर्ण विषयों से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
17 अप्रैल 2020	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए बैंकों को जारी दिशानिर्देशों को यथारूप से एनबीएफसी पर भी लागू किया गया।
19 मई 2020	केवाईसी पर मास्टर निदेश 2016 आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर लागू किए गए।
17 जून 2020	एचएफसी पर लागू मौजूदा विनियमों की समीक्षा करने वाला एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया गया।

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
24 जून 2020	सभी एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) को सूचित किया गया है कि, अपने डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से स्वयं या आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देते समय अनिवार्य रूप से उचित व्यवहार संहिता के दिशानिर्देशों का अक्षरश: पालन करना चाहिए।
1 जुलाई 2020	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी के लिए विशेष चलनिधि योजना से संबंधित निर्देश जारी किए गए।
6 जुलाई 2020	यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक एनबीएफ़सी इस संबंध में संबन्धित तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर अथवा सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अधिसूचित तिथि के भीतर अपने तुलन पत्र को अंतिम रूप देगा।
10 जुलाई 2020	वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ़) को एनबीएफ़सी के रूप में पंजीकरण से छूट के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए।
16 जुलाई 2020	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए (एआरसी) उचित व्यवहार संहिता जारी की गयी जिसने एआरसी के लिए सिद्धांतों का एक सेट प्रदान किया ताकि उन्हे हितधारकों के साथ व्यवहार करते समय उचित प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
24 जुलाई 2020	यह निर्णय लिया गया है कि हेजिंग के लिए सम्पन्न व्युत्पन्नी लेन-देन जो कि भारतीय लेखा मानकों को अपनाने वाली सभी एनबीएफ़सी/एआरसी के द्वारा अप्राप्त लाभ/हानि का प्रतितुलन समरूप अंतर्निहित हेजिंग लिखत पर पूंजी की मान्यता प्राप्त अप्राप्त हानि/लाभ (लाभ या हानि के माध्यम से अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से) के बदले में की जा सकती है। यदि अन्य वित्तीय लिखतों पर अप्राप्त लाभ/हानि के साथ इस तरह के प्रतितुलन और निवलीकरण के पश्चात, भी निवल अप्राप्त लाभ शेष है, तो इसे विनियामकीय पूंजी से बाहर रखा जाए।
13 अगस्त 2020	समूह में एक से अधिक लीवरेज तथा जटिलता को कम करने, जोखिम प्रबंधन को मजबूत बनाने, कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं और प्रकटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता लाने के लिए मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
22 अक्टूबर 2020	आवास वित्त कंपनियों के लिए परिवर्तन के साथ विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया गया जिसमें 'मूल कारोबार' और 'आवास वित्त' की परिभाषा दी; निवल स्वाधिकृत निधि ₹20 करोड़ तक बढ़ा दिया गया; एचएफ़सी के स्थावर संपदा व्यवसाय से जुड़ी समूह कंपनियों के एक्सपोज़र के लिए प्रतिबंध निर्धारित किए गए; चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क और एलसीआर, प्रतिभूतीकरण, आउटसोर्सिंग, स्वर्ण और शेयर के बदले ऋण, मोचनरोध शुल्क, इत्यादि जो एनबीएफ़सी पर लागू होते हैं उन्हें एचएफ़सी पर लागू कर दिया गया हैं।
12 फरवरी 2021	यह निर्णय लिया गया था कि मौजूदा एनबीएफ़सी में निवेशक अपने निवेश को स्रोत या मध्यवर्ती क्षेत्राधिकार के वर्गीकरण से पहले वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफ़एटीएफ़) के गैर-अनुपालक के रूप में रखते हैं, वह निवेश जारी रख सकते हैं या मौजूदा नियमों के अनुसार अतिरिक्त निवेश कर सकते हैं ताकि भारत में व्यापार की निरंतरता को मदद मिले, गैर-अनुपालन एफ़एटीएफ़ क्षेत्राधिकार से या उसके माध्यम से नए निवेशकों को, चाहे मौजूदा एनबीएफ़सी में या पंजीकरण प्रमाणत्र (सीओआर) के लिए मांग करने वाली कंपनियों में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेश प्राप्तकर्ता का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा कि लागू लेखा मानकों में परिभाषित किया गया है। ऐसे क्षेत्राधिकारों से कुल मिलाकर ताज़ा निवेश (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) एनबीएफ़सी की मतदान शक्ति (संभावित मतदान शक्ति सहित) के 20 प्रतिशत की सीमा से कम होना चाहिए।
17 फरवरी 2021	एचएफ़सी के लिए मास्टर निदेश जारी किए गए जो एचएफ़सी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क और एचएफ़सी को राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा जारी निर्देशों को संकलित करते हैं।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
	पर्यवेक्षण विभाग
16 मार्च 2020	कोविड-19 महामारी के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को उनके परिचालनगत तथा कारोबारी निरंतरता संबंधी योजनाओं के एक भाग के रूप में किए जाने वाले उपायों की निदर्शी सूची के संबंध में सूचित किया गया।
21 अगस्त 2020	बैंकों को सूचित किया गया था कि वे उचित कारणों के बिना तदर्थ/लघु ऋण सुविधाओं की बार-बार समीक्षा/नवीकरण से बचें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपने कोर बैंकिंग सिस्टम / प्रबंधन सूचना प्रणाली में नियमित रूप से तदर्थ / लघु क्रेडिट सुविधाओं की समीक्षा / नवीकरण संबंधित डेटा कैप्चर करें और उसे लेखा परीक्षकों /आरबीआई द्वारा लेखा परीक्षा या निरीक्षण के लिए कभी भी आवश्यक होने पर समीक्षा हेतु उपलब्ध कराएं।
5 सितंबर 2020	बैंकिंग परिचालन के आकार, जटिलताओं, व्यवसाय मॉडल और जोखिमों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) सहित हितधारकों के परामर्श से लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट फॉरमैट की समीक्षा की गयी तथा एलएफ़एआर के प्रारूप को संशोधित किया गया। यथासंशोधित दिशानिर्देशों में, *अन्य बातों के साथ साथ,* सिस्टम द्वारा आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानकों के अनुसार मानक, विशेष उल्लेख खाते (एसएमए), अवमानक, संदिग्ध या हानि के रूप में खातों के वर्गीकरण की लगातार निगरानी, खासकर बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के, आय का सही निर्धारण और उसके के लिए पर्याप्त प्रावधानीकरण पर विशेष ध्यान देने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की आवश्यकता है।
11 सितंबर 2020	मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की अपेक्षाओं को सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए दृष्टिकोण में एकरूपता लाने के अलावा, बैंकों में अनुपालन कार्य पर दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया। इस परिपत्र से सीसीओ के कामकाज में स्वतंत्रता, अधिकार, पारदर्शिता और ज़िम्मेदारी बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम कार्यकाल अवधि निर्धारित करके सीसीओ की स्वतंत्रता, स्थानांतरण, हटाने, पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया से संबंधित दिशानिर्देश, पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
14 सितंबर 2020	स्वचालित आस्ति वर्गीकरण (एनपीए/एनपीआई के रूप में अग्रिम/निवेश का वर्गीकरण और उनके उन्नयन), प्रावधान परिकलन और आय निर्धारण प्रक्रियाओं की पूर्णता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे 30 जून, 2021 तक निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने सिस्टम को लागू/अपग्रेड करें।
24 सितंबर 2020	यूसीबी के लिए ' साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विज़न: 2020:23' पर दस्तावेज़ प्रकाशित किया गया जो शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की साइबर सुरक्षा स्थिति को उभरते आईटी और साइबर खतरे के माहौल के विरूद्ध विकसित करने के लिए पांच-स्तंभ वाले कार्यनीति दृष्टिकोण 'जीयूएआरडी' अर्थात, शासन प्रणाली प्रबंध, उपयोगी तकनीकी निवेश, उपयुक्त विनियमन और पर्यवेक्षण, मजबूत सहयोग और विकासशील आवश्यक आईटी, साइबर सुरक्षा कौशल सेट के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की परिकल्पना करता है।
7 जनवरी 2021	• 27 दिसंबर, 2002 दिनांकित परिपत्र के द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) प्रणाली को प्रारम्भ करना अनिवार्य कर दिया गया। बैंकों द्वारा अपनाए दृष्टिकोण में एकरूपता लाने के, साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की अपेक्षाओं को सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए, उक्त विषयक परिपत्र 7 जनवरी 2021 के परिपत्र के माध्यम से आगे पूरक किया गया। • 2020-21 और उसके बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की पात्रता, सूचिकरण और नियुक्ति के मानदंडों पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को सांविधिक लेखापरीक्षा के तहत निधि आधारित 90 प्रतिशत और गैर-निधि आधारित ऋण संबंधी एक्स्पोज़र के 90 प्रतिशत का न्यूनतम कवरेज सुनिश्चित करना आवश्यक था। इससे पहले, पीएसबी को बकाया अग्रिमों के 90 प्रतिशत को कवर करने के लिए ₹20 करोड़ से ज़्यादा की सभी शाखाओं और शेष शाखाओं के पांचवे हिस्से जो शाखा लेखा परीक्षा के तहत कवर करना आवश्यक था। चार साल लगातार लेखा परीक्षा करने के बाद निर्दिष्ट केन्द्रों में स्थित ऑडिट फर्मों के लिए दो साल के अनिवार्य कार्य निवृत्ति की अवधारणा, को भी समाप्त कर दिया गया था।

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
3 फरवरी 2021	रिज़र्व बैंक ने 2002 में वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरबीआईए अनिवार्य कर दिया था। सुरक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में आंतरिक लेखा परीक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए और सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई), बड़े यूसीबी और एनबीएफ़सी के दिशानिर्देशों के सामंजस्य के लिए वर्ष के दौरान आरबीआईए फ्रेमवर्क लाया गया। 31 मार्च 2022 तक संस्थाओं को आरबीआईए फ्रेमवर्क लागू करना है और एक उचित कार्य योजना तैयार करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित करनी है।
18 फरवरी 2021	डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश जारी किए गए जिसमें विनियमित संस्थाओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली एनबीएफ़सी) के लिए एक मजबूत शासन संरचना स्थापित करने और इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड से भुगतान, जैसे माध्यमों के लिए न्यूनतम सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान किए गए। जबकि दिशानिर्देश प्रौद्योगिकी और मंच हठधर्मी होंगे, यह ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान उत्पादों का और सुरक्षित तरीके से उपयोग करने के लिए एक उन्नत और सक्षम वातावरण तैयार करेगा।
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	
3 अप्रैल 2020	रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित उपभोक्ता शिक्षण तथा संरक्षण कक्षों और केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) के अंतर्गत सभी अधीनस्थ कार्यालयों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कोविड -19 से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया।
27 जनवरी 2021	बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क जारी करना, जिसमें ये शामिल हैं (i) बैंकों और रिज़र्व बैंक द्वारा ग्राहकों की शिकायतों पर परिष्कृत प्रकटीकरण, (ii) तुलनात्मक रूप से शिकायतों की संख्या अधिक होने की स्थिति में बैंकों को मौद्रिक रूप से हतोत्साहित करने के लिए शिकायतों के निवारण की लागत वसूल करना, और (iii) बैंकों के शिकायत निवारण तंत्र की गहन समीक्षा और जो बैंक समयबद्ध तरीके से अपने निवारण तंत्र में सुधार करने में असफल रहते हैं उनके खिलाफ पर्यवेक्षी कार्रवाई करना।
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	
1 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के अर्थोपाय अग्रीमों (डबल्यूएमए) की सीमाओं को 31 मार्च 2020 को विद्यमान सीमा से 30 प्रतिशत बढ़ाया गया ताकि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण हुए राजकोषीय दबाव से उभर सकें। संशोधित सीमाएं 01 अप्रैल 2020 से लागू हुई और 30 सितंबर 2020 तक वैध होंगी।
7 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों को अपने नकदी प्रवाहों के अंतरों से निपटने में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए 'राज्य सरकारों के लिए ओवर ड्राफ्ट (ओडी) योजना' की समीक्षा की गयी और कोई राज्य/ यूटी निरंतर रूप से ओडी की स्थिति में जितने दिन रह सकता है उस संख्या को 14 कार्य दिनों से बढ़ाकर 21 कार्य दिन कर दिया गया। इसके अलावा तिमाही में कोई राज्य/ यूटी, ओडी की स्थिति में जितने दिन रह सकता उस संख्या को 36 कार्य दिनों से बढ़ाकर 50 कार्य दिन कर दिया गया।
13 अप्रैल 2020	भारत सरकार की सॉव्रेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना पर सभी वर्तमान परिचालनगत अनुदेश एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें इस दृष्टि से एसजीबी योजना की पद्धति संबंधी समेकित दिशानिर्देश जारी किए गए।
17 अप्रैल 2020	कोविड-19 की रोकथाम एवं शमन के प्रयास करने में राज्य सरकारों को अधिक सुविधा प्रदान करने तथा वे अपने बाजार उधारों की योजना बना सकें इस दृष्टि से राज्यों की डबल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 को विद्यमान स्तर के अतिरिक्त 60 प्रतिशत से बढ़ाया गया। वर्धित सीमा 30 सितंबर 2020 तक वैध होगी।
20 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के प्रकोप से निर्मित परिस्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ परामर्श से यह निर्णय लिया गया कि सरकार के डबल्यूएमए की सीमा में वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही की शेष अवधि के लिए ₹ 1,20,000 करोड़ से ₹ 2,00,000 करोड़ संशोधन किया जाए।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
22 मई 2020	कोविड-19 महामारी तथा उसके कारण राज्य सरकार की आय पर पड़े हुए दबाव के परिप्रेक्ष्य में ' समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ़) के गठन एवं प्रशासन के लिए योजना' की समीक्षा की गयी और यह सुनिश्चित करते हुए कि निधि में पर्याप्त राशि शेष रहती है, सीएसएफ़ से आहरण करने संबंधी नियमों को शिथिल किया गया।
26 जून 2020	एक नई बचत बॉन्ड योजना- अस्थायी दर बचत बॉन्ड 2020 (कर योग्य) की घोषणा की गयी। यह योजना 1 जुलाई 2020 से अभिदान के लिए खुली होगी।
29 सितंबर 2020	• कोविड-19 की रोकथाम एवं इसके शमन को उपायों को करने के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को अधिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उपायों की घोषणा की गई ताकि वे अपनी बाजार उधारियों की योजना बना सकें और अपने नकदी प्रवाह के असंतुलन को पार पाने में उन्हें अधिक लोच मिल सके। • राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमओ) में 31 मार्च 2020 के स्तर के ऊपर 60 प्रतिशत की वृद्धि, पहले इसे 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध कराया गया था पर अब इसे 31 मार्च 2021 तक विस्तार दिया गया है। • ओवरड्राफ्ट (ओडी) विनियमों में ढील जिसमें, कोई राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के लगातार ओडी में रहने के दिनों की संख्या को 14 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 21 कार्य दिवस कर दिया गया था, और कोई राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश किसी तिमाही में जितने दिन ओडी में रह सकता है उसकी संख्या को 36 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 50 कार्य दिवस कर दिया गया था, इस सुविधा को 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध कराया गया था, जिसे 31 मार्च 2021 तक और बढ़ा दिया गया था।
30 सितंबर 2020	कोविड-19 के कारण उभरती स्थितियों से निबटने के लिए बेहतर नकदी प्रबंधन एवं बाजार उधारी की योजना बनाने के उद्देश्य से, 2021-21 की दूसरी छमाही में भारत सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमओ) की सीमा को ₹1,25,000 करोड़ पर नियत कर दिया गया था, पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 257 प्रतिशत की वृद्धि थी।
5 फरवरी 2021	सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा सहभागिता बढ़ाने एवं पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने घोषणा की है कि खुदरा निवेशक अपना सरकारी प्रतिभूति खाता सीधे रिज़र्व बैंक ('रिटेल डायरेक्ट') में खोल सकता है और इसमें सरकारी प्रतिभूति के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों की बाजारों की ऑनलाइन पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी।
भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग	
16 मार्च 2020	आम जनता को सामाजिक संपर्क से बचकर और अपने घर पर रहते हुए भुगतान करने के लिए जिन भुगतान प्रणालियों को उपयोग में लाया जा सकता है उनकी चौबीसों घंटों की उपलब्धता के बारे में प्रेस प्रकाशनी के द्वारा सूचित किया गया।
17 मार्च 2020	भुगतान समूहकों तथा पेमेंट गेटवे के विनियमन, प्राधिकरण, पूंजीगत अपेक्षाएं, अभिशासन, मर्चंट ऑन-बोर्डिंग, निपटान तथा एस्क्रो खाता प्रबंधन, विवाद प्रबंधन फ्रेमवर्क आदि पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
24 मार्च 2020	वर्तमान कोविड-19 परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के अनुपालन के लिए निर्धारित समय-सीमा में विस्तार किया गया।
4 जून 2020	वर्तमान कोविड-19 परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के अनुपालन के लिए भुगतान प्रणाली परिचालकों को प्रदान की गयी समय-सीमा में और विस्तार प्रदान करने से संबंधित परिपत्र जारी किया गया।
22 जून 2020	प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों तथा प्रतिभागियों को सूचित किया गया कि वे अपने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतानों के संरक्षित और सुरक्षित उपयोग के संबंध में शिक्षण देने के लिए लक्षित बहु-भाषीय अभियान चलाएं।
22 जुलाई 2020	• 'क्यूआर (क्विक रेस्पांस) कोड के विश्लेषण हेतु गठित समिति की रिपोर्ट' (अध्यक्ष : प्रो. डी. बी. पाठक, प्रोफेसर एमीरट्स, आईआईटी, बाम्बे) जारी की गई, इससे समिति का गठन भारत में क्यूआर कोड की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किया गया था ताकि डिजिटल भुगतान को सुगम बनाया जा सके एवं अनुशंसा प्रस्तुत की जा सके।

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
6 अगस्त 2020	• भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल भुगतान के लिए आनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रणाली शुरू करने के लिए अधिदेश दिया गया। • एक सीमित अवधि के लिए रिमोट या प्रॉक्सिमिटी भुगतानों के लिए कार्ड, वॉलेट या मोबाइल डिवाइस का उपयोग करते हुए ऑफलाइन भुगतान समाधान उपलब्ध कराने के लिए बैंकों एवं गैर-बैंकों जैसे अधिकृत पीएसओ के लिए पायलट योजना की घोषणा की गई।
18 अगस्त 2020	खुदरा भुगतानों के लिए संपूर्ण देश के लिए छत्र संस्थानों के लिए प्राधिकार फ्रेमवर्क जारी किया गया।
25 सितंबर 2020	चेक भुगतान में ग्राहक सुरक्षा को और अधिक सुरक्षित करने के लिए ₹50,000 से अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) हेतु पॉजिटिव पे की घोषणा की गई।
22 अक्टूबर 2020	• पीएसओ के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की पहचान के लिए फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया। • स्वीकृति बुनियादी फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने, बेहतर उपयोगकर्ता सुविधा प्रदान करने, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने और सिस्टम दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए क्यूआर कोड को सुव्यवस्थित करने के उपाय निर्धारित किए गए थे।
17 नवंबर 2020	• गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता और भुगतान एग्रीगेटर (पीए) को पीपीआई जारीकर्ता/पीए के विवेक पर किसी अलग अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) के साथ एक अतिरिक्त एस्क्रो खाता रखने की सुविधा प्रदान की गई। • वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना की घोषणा की गई, इससे प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए एक ऐसा वातावरण बनाया जाएगा जिससे नवाचार को बढ़ावा मिले। • खुदरा भुगतान पर पहले समूह के लिए विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के छंटनी किए गए आवेदकों का परीक्षण चरण शुरू हुआ।
4 दिसंबर 2020	• निपटान और चूक जोखिमों के निर्माण को कम करने के लिए, सदस्य बैंकों द्वारा धन के बेहतर प्रबंधन को सक्षम करने और भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र दक्षता बढ़ाने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि भुगतान प्रणालियों कि निपटान फ़ाइलों [अर्थात, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), राष्ट्रिय इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रह (एनईटीसी), राष्ट्रिय वित्तीय स्विच (एनएफ़एस), रुपे, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई)] को साल के सभी दिनों में रिज़र्व बैंक भेजने की अनुमति दी जाएगी। • 14 दिसंबर, 2020 से तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली सभी दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध कराने संबंधी दिशा-निर्देशों की घोषणा की गई। • संपर्क रहित कार्ड लेनदेन के साथ-साथ ई-मैंडेट आधारित लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक में छूट की प्रति लेनदेन सीमा ₹2,000 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दी गई। • भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम), 2007 के तहत सामान्य शर्तों के अधीन सभी पीएसओ (नए और मौजूदा दोनों) के लिए स्थायी आधार पर प्राधिकार देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। • पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत भुगतान प्रणाली संचालित करने वाली संस्थाओं के प्राधिकार के लिए कुछ स्थितियों में 'कूलिंग पीरियड' की अवधारणा पेश की गई।
16 दिसंबर 2020	• 'सीमा पार भुगतान' की थीम के साथ आरएस के तहत दूसरे समूह को खोलने की घोषणा की गई। तीसरे समूह के लिए थीम को 'एमएसएमई लेंडिंग' के रूप में भी घोषित किया गया था। • अद्यतन 'आरएस हेतु सक्षम फ्रेमवर्क' की घोषणा की गई, जिसमें निवल मूल्य की आवश्यकता मौजूदा ₹25 लाख से घटाकर ₹10 लाख कर दी गई और साझेदारी फर्मों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को भी इसमें भाग लेने की अनुमति दी गई।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
24 दिसंबर 2020	आरएस के तहत 'खुदरा भुगतान' पर पहले समूह के 'परीक्षण चरण' के लिए चुनी गई चार संस्थाओं का परीक्षण शुरू हुआ।
1 जनवरी 2021	• देश भर में भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को कैप्चर करने के लिए समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) पेश किया गया।
5 जनवरी 2021	• देश भर में स्वीकृति बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ़) योजना के संचालन के लिए ढांचा पेश किया गया। • 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी, केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने वाली संस्थाओं (गैर-व्यक्तियों) द्वारा किए गए '50 करोड़ और उससे अधिक मूल्य के सभी भुगतान लेनदेन के लिए कानूनी विधिक इकाई अभिज्ञापक (एलईआई) प्रणाली के उपयोग की घोषणा की गयी थी।
25 जनवरी 2021	सदी के दूसरे दशक अर्थात 2010 के आरंभ से 2020 के अंत तक भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली की यात्रा के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तिका जारी की गई।
5 फरवरी 2021	• यह घोषणा की गयी थी कि प्रमुख भुगतान प्रणाली ऑपरेटर को विभिन्न डिजिटल भुगतान उत्पादों के संबंध में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करने तथा उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र पर जानकारी देने के लिए सितंबर 2021 तक एक केंद्रीकृत उद्योग व्यापी 24x7 हेल्पलाइन की स्थापना करने की आवश्यकता होगी। आगे, हेल्पलाइन के माध्यम से ग्राहक शिकायतों को दर्ज करने और हल करने पर ध्यान दिया जाएगा। • यह घोषणा की गयी कि आउटसोर्सिंग में परिचर जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए दिशानिर्देश और यह सुनिश्चित करना कि आउटसोर्सिंग भुगतान और निपटान संबंधी सेवाओं के लिए एक आचार संहिता का पालन किया जाता है, ऑपरेटरों और अधिकृत भुगतान प्रणालियों के प्रतिभागियों को जारी किया जाएगा।
15 मार्च 2021	देश की सभी बैंक शाखाओं में चेक ट्रंकेशन प्रणाली का विस्तार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
31 मार्च 2021	• पेमेंट एग्रीगेटर (पीए) और उनके द्वारा ऑन-बोर्ड किए गए व्यापारियों को 31 दिसंबर 2021 तक के लिए एक बारगी समय सीमा बढ़ायी गयी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक के कार्ड के क्रेडेंशियल उनके डेटाबेस या सर्वर में संग्रहीत न हों। • कार्ड/वॉलेट/यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करके ऑनलाइन लेनदेन के लिए ई-मेंडेट के संसाधन और पंजीकरण के लिए हितधारकों को नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक समय सीमा बढ़ा दी गई थी।